


OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



Pramod Kumar Tiwari Joining Letter

	_
कार्यालय सचिव, जनमागीदारी समिति	
शास्त्र तकार्यी महा ध्रान्य	(210-012)
मानव शान् तलामी महा छात्रपुर	(1-1)
1442/18 . Garito 04.0	7-18
मान प्राप्त भी का असार सिवारी	
11 2 2 0 3 M 4 9 FILE Mak	
- 107 700	
क्रिया याधकारा / गुथपाल हुए जानगर के क	•
विशय:- अतिथि विद्वान/ काला जानकरात्र संदर्भ:-1. अपर संचालक उच्च ििसा पत्र कं01166/1016/अरुिि। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	गेपाल दिनांक 03.07.
संदर्भ:-1. अपर संचालक उच्च ििासा पत्र क01166/1016/ जिल्हा का	रिनांक 26.06.
संदर्भ:-1. अपर संचालक उप्त किया किया किया किया किया किया किया किया	ula il il il
	^
के कि मणाको इस महाविद्यालय	में 9-17 है। कि
विशयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय विशय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति हुई है । आप से अपेक्षा की जाती है । अप से अपेक्षा की जाती है । अपेक्षा पर सेंदर्भितपत्रानुसार की अपेक्षा ने अपेक्षा की अपेक्स की अपेक्षा की अपे	र्वो को संतोशप्रद रूप से
विशय पर व्याख्यान दन हेतु पर का अधिकारी / गृंथपाल एवं सदामतपत्रानुपार	
नम् करने होगा।	
च्या विकास के अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र के अपने के अपने क्षेत्र के अपने के अपने किया के अपने किया के अपने क अपने के अपने क	अपनी उपस्थिति
	तिम रूपये 30000/-का
आपका आमंत्रण निम्न माती के अधान कार्या 1. यह कि आपको महाविद्यालय मे प्रतिदिन न्यूनतम ७ घंटे (10.30से 5.30 तक)की 1. यह कि आपको महाविद्यालय मे प्रतिदिन न्यूनतम ७ घंटे (10.30से 5.30 तक)की सुनिधिचत करनी होगी तथा एक कार्य दिवस हेतु 1500 क्रपये एवं मासिक न्यून मानदेय होगा। 2. मानदेय होगा। 2. मानदेय की स्थिति में उत्तत अतिथि विद्यान का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो ज	लस्वरूप नियमित नियुक्ति
सुनिधित करेंना हाना महाविद्यालय में स्थानांतरण/मंती के के मानदेय होगा। 2. मंगप्रशीमासन उच्च धिक्षा विमाग द्वारा महाविद्यालय में स्थानांतरण/मंती के के मानदेय होगा। कियाजाने की स्थिति में उत्तर अतिथि विद्यान का आमंत्रण स्वतः समाप्त हो ज कियाजाने की स्थिति में उत्तर अतिथि (12 माह) के लिये सीमित होगा। कियाजान सोहाणिक सत्र 2018–19 (12 माह) के लिये सीमित होगा।	⊓ऐगा ।
मानदय होगा । 2. मुंगप्रित निक्षित के उत्तर अतिथि विद्यान का आमंत्रण स्वतः सनाय । 2. मुंगप्रित के स्थिति में उत्तर अतिथि विद्यान का आमंत्रण स्वतः सनाय । किय जाने की स्थिति में उत्तर अतिथि विद्यान के लिये सीमित होगा। 3. यह आमंत्रण मौद्याणिक सन्न 2018–19 (12 माह) के लिये सीमित होगा। 3. यह आमंत्रण मौद्याणिक सन्न विद्याणित कार्य का मूल्यांकन करने का पूर्ण	० जा होगा।
2. मिंप्रियाति में उक्त आतिष् । किया सामित कार्या किया जाने की स्थिति में उक्त आतिष् । विश्व सामित कार्या कार्या की सिंपित सन्न 2018–19 (12 माह) के लिय सामित कार्या । 3. यह आमंत्रण करने की अंतिम तिथि 07.07.2018 होगी। 4. कार्यमार ग्रहण करने की अंतिम तिथि ति कार्य का मृत्यांकन करने का पूर्ण अधिकार होगा। 5. प्राचार्य को अतिथि विद्वानों द्वारा निश्चादित कार्य का मृत्यांकन संतौशप्रद न पाये जाने अतिथि विद्वान की कार्यपद्धित असंतौशप्रद किया जा सकेगा। 6. मृत्यांकन संतौशप्रद न पाये जाने आमंत्रण प्राचार्य द्वारा तत्काल प्रमाव से समाप्त किया जा सिवेद्वाचार्य को प्राच ऐसे अतिथि विद्वान का आमंत्रण प्राचार्य द्वारा तत्काल प्रमाव से समाप्त किया जा सिवेद्वाचार्य का अपने का अपने का अपने का अपने का स्थापन किया जा सकेगा।	
4. कार्यभार प्रदेश विद्वानों द्वारा । नस्यास्य विद्वान की कार्यपद्धाव जराव से सम	ाप्त किया जा सकना।
e hear Prot takin a	याच्यापाप +
्रताग पर भ	जनमागिकस्य विविधित्य अनुपपुर जिला जनपपुर (१ प्र)
· 本字:	-ito 04.7:18
119	110
पू क्रमांक <u>पू प 3 / 1 क</u> पूर्व क्षिया पूर्व किया संचालक , उच्च िक्षा शैवा संमाग की ओर आविधक कार 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च िक्षा शैवा संमाग की ओर आविधक कार	विहि हेतु प्रशिव।
प्रतिलियः सचिलिकं संचालकं , उपय	सम्बार्य
1. सत्राय जाउँ 2. कार्यालयीन प्रति	THE STATE OF THE S
	अनुपपर जिला अनुपपर (कड़)
	*
0)1	
Ciw's	36
OV. 3. 2	
8.14	8
	PRINCIPAL Anuppur
	Dist. Anuppur (M.P.)
等原上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	